

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना  
सं0 13/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 13 अप्रैल, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012- सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) तालिका में, क्रम सं0 78 क में,

(क) स्तंभ (3) में शब्द " पांच लाख मीट्रिक टन तक " के बाद में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि आयातकर्ता कच्ची चीनी का सफेद / परिशोधित चीनी में परिशोधन, बिल आफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड की तारीख, जो भी बाद में हो के दो महीने की अवधि के भीतर करता है।";

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि "3घ और 5" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(ख) सारणी के पश्चात, परन्तुक में, खंड (ठ) के बाद निम्नलिखित संख्या, अक्षर और शब्द "13 जून, 2017" के स्थान पर संख्या, अक्षर और शब्द "1 जुलाई, 2017" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[फा.सं.354/78/2009-टीआरयू (भाग)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 12/2017-सीमा शुल्क, तारीख 5 अप्रैल, 2017 सा.का.नि. 334(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2017 द्वारा किया गया था ।

